फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मांगीलाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 111/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.09.2022 पत्रावली तहसीलदार मावली से बाद जांच रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मांगीया पिता ठाकरी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार तहसीलदार मावली द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिवार राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, 50/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, सहखातेदारों की सहमति पत्र, ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता ठाकु अंकित है। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर मांगीया पिता ठाकरी व मांगीलाल पिता ठाकु को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा की खाता संख्या 286 भूमि में खातेदार मांगीया पिता ठाकरी के बजाय मांगीया उर्फ मांगीलाल पिता ठाकरी उर्फ ठाकु संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(कपिल कुमार कोठारी)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Kapil Kumar Kothari Date: 2022.10.07 15:27:23 IST Reason: SelfAttested	